न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 27 / 2008 / 75 एलआर एक्ट

1. भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
2. तीजा पत्नि स्व. पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
3. बद्री पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
4. मनीराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
5. कृष्णलाल पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
6. रणजीतराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
7. राजेन्द्र कुमार पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
8. गटटूराम पुत्र लाधूराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
9. मु0 सरोज पुत्री लाधूराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।

——अपीलाण्टस

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. राजस्थान सरकार
2. सराजदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चिरागदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. जहीरदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. हासमअली पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. अब्दुलसत्तार पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2
3. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

(2) अपील स. 142 / 2008 / 75 एलआर एक्ट

1. सराजदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चिरागदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जहीरदीन पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. हासमअली पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. अब्दुलसत्तार पुत्र बंशीर खां जाति मुसलमान निवसी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
3. तीजा पत्नि स्व. पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
4. बद्री पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
5. मनीराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
6. कृष्णकुमार पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
7. रणजीतराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र पतराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
9. गटटूराम पुत्र लाधूराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।
10. मु0 सरोजी पुत्री लाधूराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यार खास भादरराम पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी सहारणी तहसील टिब्बी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2010 उपखण्डाधिकारी टिब्बी
प्रकरण सं0 165 / 2009 अनवानी सुन्दरलाल बनाम सरकार

उपस्थित :—

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय दिंनाक : 12.06.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि अपील संख्या 27 / 2008 के अपीलांट व अपील सं. 142 / 2008 के रेस्पो0 सं. 2 भादरराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया कि चक 7 सीडीआर के प.न. 227/243 कि.न. 1 ता 6 कुल 6 बीघा भूमि अरसा दराज से कब्जा काश्त मे चली आ रही है जो स्व. पतराम के नाम गैरदाखिलकारी दर्ज है, पूर्व मे इस भूमि पर खुद पतराम व उसके भाई भादरराम की काश्त थी इसमे से 4 बीघा कि.न. 3 ता 6 रकबाराज हो गया। उक्त भूमि के पुराने खसरा नं. 295 ग्राम सहारणी थे। सम्वत 2016 की गिरदावरी प्रार्थीगण के पक्ष के पतराम के नाम है। लगातार कब्जा पतराम व उसके भाई भादरराम का रहा, इस भूमि को आवंटन कराने का हकदार पतराम था अब उसके वारिसान का है। शर्त 6 का कोई नोटिस प्रार्थीगण को नही दिया गया इसलिए प्रार्थना पत्र अब पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा गिरदावरी सम्वत 2016, 2017 व जमाबंदी 2049–52 व गिरदावरी सम्वत 2057 व गिरदावरी नहरी सन् 1993 व नक्शा पटवारी हल्का व असल रसीद माली व पानी पर्ची पेश की गई। यह भी आवेदन पत्र मे निवेदन किया कि वर्ष 1995 मे उक्त 4 बीघा भूमि का कब्जा हाकमअली ने छीन लिया तब एक दावा प्रार्थीगण ने दायर किया जो जागीर से संबंधित होने के कारण निरस्त हुआ। उक्त 6 बीघा भूमि मे से 4 बीघा आराजी राज कर दिया गया। शेष 2 बीघा पर कब्जा आज भी प्रार्थीगण का है, जिसे बतौर गैरदाखिलकार आवंटन कराना चाहते है। विचारण न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की साक्ष्य आदि आने के बाद अन्तिम बहस सुनने के उपरांत दिनांक 22.02.08 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत आवंअन निरस्त करते हुए उक्त रकबा को अराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये गये है व तहसीलदार को पालनार्थ आराजीराज रकबा को कब्जा आदि लेने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित होकर दो अपीले भादरराम बनाम स्टेट व सराजदीन बनाम स्टेट पेश हुई। दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा सम्मान पक्षकार होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपील सं. 27/08 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 142/08 के रेस्पो0 सं. 2 है, के विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों व रिकार्ड के विरूद्ध बिना विवेचन किये पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त लगतार सम्वत 2007

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से पतराम व प्रार्थीगण भादरराम आदि की रही है। तमाम रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम है। भूमि गैरदाखिलकारी की है जो रिकार्ड मे गैरदाखिलकार पतराम के नाम दर्ज है। जिसको विचारण न्यायालय ने नही समझा। गैरखातेदारी दर्ज करवाना विचारण न्यायालय ने माना है तो फिर भूमि को खारिज नही की सकती। पैन्तालिसा ग्राम ऐरिया के अन्तर्गत दो ही प्रकार की भूमि थी। एक बिश्वेदार का खुद काश्त अथवा गैरदाखिलकार और जो बिश्वेदार खुद काश्त मे नही थे और उनकी भूमि पर अन्य लोगो को काश्त थी उन्हे गैरदाखिलकार माना गया है। अपीलांटस ने पूर्व मे वाद खातेदारी हेतु दायर किया था लेकिन उस वाद मे क्षेत्राधिकार नही माना था। उसके पश्चात अलॉटमेंट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो बोनाफाईड़ है। विचारण न्यायालय ने कानूनी स्थिति को नही समझा। पैन्तालिसा अलॉटमेंट गैरदाखिलकार अधिनियम 1970 की शर्त 6 की कोई पालना नही होती है तो कोई मियाद का मामला नही बनता। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय तक रिट खारिज होने की स्थिति जो बतायी गई है वह मात्र 4 बीघा तक थी ना कि 6 बीघा तक तथापि वह कार्यवाही अपीलांटस के विरूद्ध नही थी। जिसकी रिट खारिज हो गई। उस कार्यवाही मे भी माननीय कलैक्टर जागीर श्रीगंगानगर द्वारा 4 बीघा भूमि रकबा राज दर्ज करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर अपीलांटस को नही दिया था। जिस पर भी विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। उक्त मामला मे चक 7 सीडीआर प.न. 227/243 कि.न. 1 ता 6 का अलॉटमेंट का अधिकार व पात्रता मात्र अपीलांटस को है अन्य किसी को नही है तथा रेस्पो0 नं. 2 ता 6 आवश्यक पक्षकार नही थे लेकिन कानूनी रूप से इनका कोई हक नही बनता। इसलिए 2 बीघा भूमि कि.न. 1 व 2 किसी सूरत मे खारिज नही हो सकती। अपील संख्या 27/08 अनवानी भादरराम बनाम स्टेट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.08 अपीलांटस की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन स्वीकार किया जाकर अपीलांट को चक 7 सीडीआर के प.न. 227/243 कि.न. 1 ता 6 कुल 6 बीघा भूमि का गैरदाखिलकार अधिनियम के तहत आवंटन किया जावें।

4. अपील सं. 142/08 के अपीलाण्ट सं. 1 एवं अपील सं. 27/08 के रेस्पो0 सं0 2 सराजदीन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत आधारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। उक्त विवादित

भूमि वाके चक 7 सीडीआर प.न. 227/243 कि.न. 3 ता 6 कुल 4 बीघा भूमि अपीलांट के पूर्वजो की बिस्वेदारी खुद काश्त की भूमि थी जो अब अपीलांट/रेस्पो सं0 2 सराजदीन व भूरा खां के कब्जा काश्त मे है। उक्त भूमि सहबन से गिरदावरी मे रेस्पो0 भादरराम के नाम अंकित हो गई जबकि कब्जा काश्त अपीलांटस सराजदीन आदि का है। उक्त भूमि पर पतराम या उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नही रहा इसलिये वे इस भूमि का आवंटन कराने के पात्र नही है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट सराजदीन की बिस्वेदारी भूमि है इसलिये खुद काश्त घोषित कर खातेदारी दर्ज की जावें परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही अपीलांट सराजदीन आदि की पात्रता न मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। उक्त विवादित भूमि चक 7 सीडीआर प.न. 227/243 कि.न. 3 ता 6 कुल 4 बीघा भूमि अपीलांटस सराजदीन आदि के कब्जा काश्त की एवं अपीलांटस सराजदीन के पूर्वजो की बिस्वेदारी भूमि थी। जिस बाबत अपीलांटस सराजदीन आदि ने विचारण न्यायालय मे नकल दैनिक डायरी, नकल गिरदावरी सम्वत 2017–19, नकल जमाबंदी सम्वत 2011 से 14 की प्रति आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे। अतः अपील संख्या 142/08 अनवानी सराजदीन आदि बनाम स्टेट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपील संख्या 27/08 अनवानी भादरराम बनाम स्टेट खारिज कर अपीलांट/रेस्पो0 सराजदीन आदि को खुद काश्त घोषित कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

5. अपील सं. 27/08 के रेस्पो0 सं. 1 व अपील सं. 142/08 के रेस्पो0 सं. 1 स्टेट के विद्वान राजकीय अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 इस भूमि के लिए कतई पात्रता नही रखते है, यदि वे वास्तव मे गैरदाखिकार होते तो नियत समयावधि मे जरूर आवेदन करते। उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा दिनांक 20.12.96 को जो आदेश पारित किया है उसमे हुए अंकन के अनुसार पतराम को 45 बीघा चक 3 एलजीडब्ल्यू मे अलॉट हुई, इस दृष्टि से भी पतराम की पात्रता नही बनती। जहां तक रेस्पो. सराजदीन का क्लेम है वह भी निराधार है, क्योंकि एडीएम जागीर का दिनांक 02.04.83 को पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय तक बहाल रहा है इसलिए रेस्पो0/अपीलांट सराजदीन आदि 4.00 बीघा भूमि की खुदकाश्त खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए उपरोक्त दोनो अपीले आधार हीन होने के कारण दोनो अपीले खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि '' यदि प्रार्थी पक्ष का पतराम वास्तव मे प्रश्नगत भूमि का गैरदाखिलकार था तो वह विधिवत रूप से निश्चित समयावधि मे जरूर आवेदन करता, इसका कारण रिकार्ड से स्पष्ट हो रहा है कि सम्वत 2016 मे पतराम 5 बीघा भूमि कृषक के रूप मे दर्ज है ना कि गैरदाखिलकार के रूप मे दर्ज है। सम्वत 2048–2053 की जमाबंदी मे पतराम इन 6 बीघा को गैरदाखिलकार न होकर गैरखातेदार दर्ज है। गैरखातेदार को आवंटन शर्ते 1970 मे आवंटन का कोई प्रावधान नही दिया गया है। भादरराम जो पतराम का भाई है वह उपखण्ड अधिकारी के यहां राजस्व वाद मे यह प्लीड करता है कि पतराम को 3 एलजीडब्ल्यू मे 45 बीघा भूमि अलॉट हुई। प्रश्नगत भूमि 5.10 बीघा भादरराम अपने हिस्से की बताता है। अप्रार्थीगण ने वहां जो जवाब पेश किया उसमे भी यह बात उठाई है कि प्रार्थीगण ने आवंटन हेतु कोई कार्यवाही नही की, वर्ष 1996 के निर्णय के अनुसार प्रार्थी पक्ष के बखूबी ज्ञान मे आ गया था कि उन्होने प्रार्थना पत्र आवंटन का नही लगाया है फिर भ आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश न करना व इससे 7 वर्ष पश्चात आवेदन करना स्पष्ट जाहिर करता है कि यह भूमि उनकी आवंटन योग्य गैरदाखिलकारी की नही थी। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पतराम को 3 एलजीडब्ल्यू मे 45 बीघा आवंटन है तो वह प्रश्नगत भूमि के लिए आवंटन भी करता तो भी वह पाने का अधिकारी नही था क्योंकि उसके धारण मे पहले से ही भूमि थी अब अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 की पात्रता पर विचार करे तो स्थिति यह बनती है कि एडीएम जागीर श्रीगंगानगर ने दिनांक 02.04.83 को प्रश्नगत 4 बीघा भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि हाकमअली के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ से खारिज हुई, द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 06.08.98 को खारिज हो चुकी है। माननीय राजस्व मण्डल ने तो यह भी निर्देश किए है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि विवादित 4 बीघा के बारे मे जिला कलैक्टर यह सन्तुष्टीकरण कर ले कि भूमि राज्य सरकार के खाते मे दर्ज हो गई है अथवा नही। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 3101 वर्ष 98 दायर की गई, जिसका निर्णय दिनांक 10.02.2000 को पारित हुआ, जिसमे रिट याचिका खारिज हो चुकी है। इस प्रकार एडीएम जागीर श्रीगंगानगर का निर्णय अन्तिम हो चुका है। अर्थात किसी भी सूरत मे अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 प्रश्नगत भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। प्रश्नगत भूमि के न तो प्रार्थीगण पात्रता रखते है और ना ही अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 खातेदारी पाने के अधिकारी है।'' इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे अपील सं. 27/08 के अपीलांट व अपील सं. 142/08 रेस्पो. सं. 2 भादरराम एवं अपील सं. 27/08 के रेस्पो0 सं. 2 व अपील संख्या 142/08 के अपीलांट दोनो ही पक्षकारो की सुनवाई करते हुए तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व न्यायालयों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को मध्यनजर रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त दोनो अपीले खारिज की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2008 को यथावत रखा जाना उचित है।

7. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले सारहीन होने के कारण की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2008 यथावत रखा जाता है। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official